देवबणी री बात

कृपाविस का सामुदायिक जंगल 'देवबणी/ओरण' संरक्षण अभियान

अंक 1

जून 2003

जंगल सुरक्षा–ओरण व्यवस्था

'ओरण या देवबणी' किसी गांव का वह क्षेत्र होता है जहां गांव वाले अपने सामुहिक जंगल को अपने लोक देवता के संरक्षक में उसकी रक्षा करते हैं या सुरक्षा की दृष्टि से किसी देवी–देवता के नाम से जोड़ देते हैं। चूकिं मवासी ओरण या देबवणी में अपने उस देवता का निवास मानते हैं, अतः देवबणी/ओरणों का नाम देवी–देवता के नाम पर ही रखा जाता है। इस तरह के गावॉई जंगल देश के विभिन्न राज्यों में अलग–अलग नाम से पुकारे जाते हैं, जैसे– केरल राज्य में कावू, कर्नाटक में देवराकाडू, महाराष्ट्र में देवओरण, छतीसगढ़ में सरना तथा राजस्थान में देवबणी या ओरण के नाम से जाना जाता है।

'देवबणी या ओरण' जंगल प्रबन्धन की एक जीवंत परम्परा है। जिसनें ग्रामीण समुदायों आस्था व संस्कृति के सहारे सदियों से जंगल व वन्य प्रणियों को बचाये रखा। इस

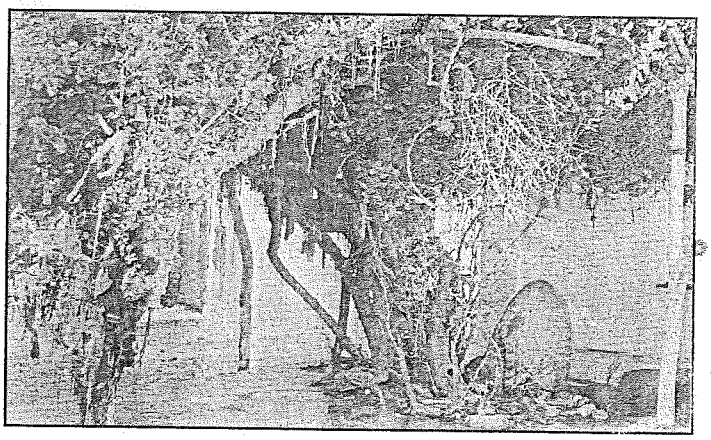

संरक्षित और सुरक्षित जंगल से पालतु पशु और वन्य जीवों तथा मनुष्य के काम आने वाली विभिन्न साम्रगी प्राप्त होती हैं जैसे– घास, पशुओं के चरने के लिये चारा तथा औषधि–जीवन रक्षण जड़ी बूटीं आदि। छोटी–मोटी बीमारी हेतु जंगली पौधे आंकड़ा, नींम, बील पत्र, इत्यादि के पत्ते व फल काम आते हैं। ईधन के लिए धोंक, कैर, बबूल तथा फलों के वृक्ष आम, बैर, पीलू, नीबू इत्यादि की प्राप्ति होती हैं। देवबणीयों के सहारे परम्परागत जल स्रोत का संरक्षण व रखरखाव भी होता आया हैं चूंकि किसी भी देवबणी या ओरण में जल स्रोत की उपस्थिति स्वभाविक है।

आधुनिकता तथा सरकारी नीति के चलते ओरण/देवबणी पर कानूनी रूप से समाज या पंचायत का कोई अधिकार नहीं है। सरकार पंचायती राज्य के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकारों से सुसज्जित कर रही है। इसलिये पंचायतों का भी यह दायित्व बन जाता है कि ओरण जैसी व्यवस्था को बचा कर रखें। उन पर अतिक्रमण नहीं होने दे तथा उसकी सीमाओं का निर्धारण कर राज्य सरकार से उस भूमि को संरक्षित भूमि घोषित करावें तथा ग्राम पंचायतों की सम्पति में 'ओरण/देवबणियां' भी पंचायत सम्पति घोषित हो।

कृपाविस

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान
गांव–बख्तपुरा, पो0–सिलीसेढ़ झील,
जिला अलवर–301001 (राजस्थान)
फोन – (0144) 2344863
ई–मेल: krapavis_oran@rediffmail.com

सम्पादन: अमन सिंह व प्रतिभा सिसोदिया

देवबणी ओरण संरक्षण की दिशा में कृपाविस की पहल

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस) एक गैर सरकारी, स्वैच्छिक संस्थान है जो 1992 से राजस्थान के अलवर जिले में सघन रूप से कार्यरत है। ग्रामीण समुदायों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के सुधार और विकास में सहयोग करने हेतु कृपाविस कटिबद्ध है। कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के विकास से जुडे सामाजिक और सांस्कृतिक संबधों का अध्ययन और पोषण करना कृपाविस की नीति में निहित है। कृपाविस प्राकृतिक संसाधनों के विकास में लोगों के पारम्परिक ज्ञान, विज्ञान और सुझ–बूझ में आस्था रखता है तथा जीवंत परम्पराओं के शोध, पुनरोत्थान ओर इनके प्रसार में कृपाविस अपनी आवश्यक भूमिका समझता है। ओरण देवबणी संरक्षण की दिशा में कृपाविस द्वारा चल रहे प्रयास संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:

अध्ययन : कृपाविस ने अलवर जिले की देवबणी/ओरणों के अध्ययन का कार्य भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय/पर्यावरण शिक्षण केन्द्र के सहयोग से किया। इस अध्ययन पर रिर्पोट के रूप में एक पुस्तिका ''देवबणी–ओरण; अलवर जिले का एक विश्लेषण'' प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में जिले की देवबणियों/ओरण का लेखा जोखा तथा प्रमुख 9 देवबणियों की केस स्टडी के रूप में प्रकाशित किया है। उपसंहार के रूप में देवबणियों के संरक्षण के उपाय व सुझाए दिये हैं।

इसी तरह से 'विनरौक इन्टरनेशनल इण्डिया' के आर्थिक सहयोग से राजस्थान में ओरणों की स्थिति पर एक पुस्तिका का अंग्रेजी में प्रकाशन किया है। जिसमें राजस्थान राज्य में देवबणी/ओरणों की स्थिति पर प्रकाश ड़ालने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन की इस श्रृंखला में स्लाइडस, फोटोग्राफ्स तथा अन्य केस–स्टड़ीज तैयार कर जन आंदोलन हेतु अन्य पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित की गई हैं।

देवबणियों का पुनःरोत्थान : कृपाविस ने ग्रामीणों को सगंठित कर कुछ गांवो जैसे बख्तपुरा, बेरा, घाटीतला आदि में देवबणियों के पुनःरोत्थान के कार्य शुरू किए हैं जिनमें निम्न गतिविधिया चल रही हैं :

- वृक्षारोपण (स्थानीय दुलर्भ प्रजाति के पौधें)
- भू–जल संरक्षण (टक, चेक ड़ेम, ट्रेंचिंग आदि)
- परम्परागत जल स्रोतो (तालाब, झरना, बाबड़ी, कुईया आदि) का पुनःउत्थान
- स्थानीय तथा दुलर्भ प्रजातियों के पौधों क पौधशालाएं
- प्रबन्धन हेतु समितियों का गठन

नेटवर्किंग/एडवोकेसी (अभियान) – कृपाविस का प्रयास शुरू से ही ओरण व देवबणियों के संरक्षण के प्रति रहा है। जिसे वर्तमान में एक अभियान के रूप में उठाया है। देवबणियों व ओरणों पर समाज तथा पंचायत का अधिकार हो तथा ओरण व्यवस्था पुनःस्थापित हो इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग/एडवोकेसी आदि गतिविधियॉ जैसे:

- ग्रामीण समुदायों के साथ .मिटिंगें, वार्ता, कार्याशाला आदि का आयोजन।
- विभिन्न स्वंम सेवी संस्थाओं, सम्बन्धित सरकारी संस्थाओं आदि के साथ सम्पर्क एवं समन्वयन।
- विषय पर संदर्भ सामग्री तैयार व प्रसारित करना।
- क्षेत्रिय तथा राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन।
- विभिन्न स्कूल व कॉलेजों के शिक्षकों व विद्यार्थियों के साथ वार्ता ।
- पंचायतों की बैठकें आयोजित कर देवबणी संरक्षण कार्यो में सहभागी बनाना।

बासरोल व सोन्या देवबणी–पीपल बचाने को समर्पित एक गांव; राड़ा

'राड़ा' अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में स्थित गुर्जर जाति के 35 परिवारों का गांव हैं। गांव के बासरोल क्षेत्र में एक कुआं बहुत समय पहले खुदवाया गया था, महात्मा मल्वा बाबा और ग्रामीणों ने मिलकर। यह कुआं गांव से 2 किमी की दूरी पर है। जहां पर पीपल के वृक्ष गांव वालों ने एक वन समीति बनाकर कड़ी सुरक्षा से बचाये रखे हैं। वन समिति के अध्यक्ष श्री लल्लू राम गुर्जर का मानना है कि ये पीपल के वृक्ष 50 बीघा मीन के अन्दर हजारों की संख्या में हैं। जिसे बासरोल व सोन्या देवबणी के नाम से जाना जाता है। यहां पेड़ न काटने की ग्रामवासियों में लिखित व अलिखित शपथ है तथा नियम भी बना रखे हैं। इस देवबणी से घास व पत्तों के रूप में होने वाली आय को इस देवबणी के संबर्द्धन में लगाया जाता है। अकाल के समय में पशुओं को यहां से चारा लाने की छूट रहती है।

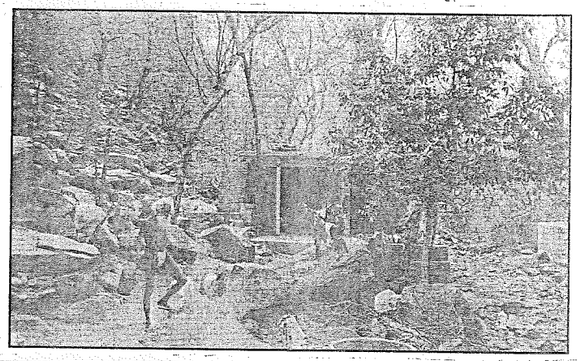

देवबणी बचाना ही जीवन का ध्येय : एक दृष्टिहीन की दास्तान

"अजी भाई सा काल मे स्कूला के बच्चों को ले पूरा दिन रैली निकाली" 11 मई 2003 को श्यामगगा गाव में स्कूल के एक कार्यक्रम के दौरान एक 60 वर्षीय अधेड लेकिन चुस्त तथा दुर्भाग्यपुर्ण अन्धा व्यक्ति ने खड़ा होकर यह विस्मयकारी बात कही ।

यह व्यक्ति है– श्री धर्मी गुर्जर, जो अलवर जिले के मालाखेड़ा कस्बे के समीपवर्ती बिलन्दी गाव मे रहता है। वह शारीरिक रूप से अन्धा है लेकिन उसके जीवन का ध्येय बहुत ही बड़ा जिसे बडे–बडे महात्मा या शासक ही करते आये है, वह है आरण/देवबणियों का निर्माण व सरक्षण। तीन साल पहले धर्मी गुर्जर ने अपने गाव बिलन्दी में लगभग 15 बीघा क्षेत्र पर जगल बचाने का बीडा उठाया। उसे मालूम था कि यह काम बहुत कठिन है इसलिए उसने सबसे पहले जगल बचाने की प्रभावी विधि को तलाशा तथा उस रूप मे उसने अपनाया देवबणी विचारधारा को। चूकि इस विचारधारा से न केवल जगल बचाना आसान है बल्कि अन्य ग्रामीण भी स्वम जुडते चले जाएगे। अत: सबसे पहले उसने उस क्षेत्र के मान्य देवता 'भौमिया बाबा' की स्थापना कराई। स्थापना का उद्देश्य एव देवबणी से जुडे हुए नियम व उपनियमो पर गाव के साथ चर्चा की। अन्तिम निर्णय के रूप मे यह भी श्री धर्मी ने प्रसारित किया कि यदि इस जगल मे कोई भी नुकसान पहुचाएगा या नियम विरूद्ध कार्य करेगा तो उसे भौमिया देवता का 'परचा' मुफ्त मिल जाएगा। 'परचा' यानि देवता का दण्ड, दोषी को उसका घर जलाने मवेशियो को मार देने आदि के रूप मे, सयोगवश कुछ दोषियो के साथ हुआ भी ऐसा ।

धर्मी गुर्जर इस जगल की रखवाली स्वम करते हैं तथा अपने हाथो से पौधो मे पानी डालते हैं। परिणामस्वरूप उनके इस प्रयास से खेजडी, खेर, पापडी, पिलू, धोक आदि पेडो का सघन जगल तेयार हो रहा है।

'गढबसई' संरक्षण में अग्रणी एक गांव

'गढबसई' अलवर जिले की थानागाजी तहसील में एक ऐतिहासिक गांव है। सन् 1980 में इसं गांवं की श्रीमति मगन कॅवर ने अपने गांव की देवबणी को पुनः हरा भरा करने का बीड़ा उठाया। जिनका मानना है कि रियासतकालीन समय में यहां के राजपूत जागीरदारो ने जंगल बचाने का काम को प्राथमिकता में रखा। जिसके प्रमाण के रूप में आज भी विद्यमान है– मंसादेवी मां व ब्रहामणी माता की देवबणी, धुनीनाथ की देवबणी आदि। कहा जाता है कि इस माता की देवबणी का निमार्ण संवत् 1717 में हुआ जिसे यहां के तत्कालिक नरेश मोहकम सिंह ने की थी तथा उसके बाद भी इस गांव के जागीरदारों ने आजादी के समय तक इसके रख रखाव पर पुरा ध्यान दिया। लेकिन इसके बाद रखरखाव के अभाव में इस देवबणी का जंगल लगभग समाप्त हो गया।

श्रीमति मगन कॅवर ने गांव के कुछ प्रमुख लोगों– श्री बजरंग सिहं, श्री फतह सिंह, श्री हरसहाय गुर्जर, श्री नन्दलाल मीणा तथा श्री गोपाल सिंह आदि को साथ लेकर देवबणी के पुनःउत्थान पर चर्चा की तथा एक समिति बनाकर इसके संरक्षण हेतु नियम व उपनियम बनाए। जिसमें जंगल काटनें वालों से कठोरता से निबटने के लिए कड़े प्रावधान कियें गये तथा इस देवबणी के पुनःउत्थान हेतु निम्न कार्य किये :

- इस देवबणी के क्षेत्र (लगभग 40–45 बीघा) क्षेत्र के चारो तरफ पत्थरों का डण्डा (दिवार) बनाई।
- वृक्षारोपण कार्य किया गया जिसमें अधिकतर धोंक(छिला), खैरी, हिगोंट, देशी बबूल आदि के पेड़ लगाए गये।
- जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ पानी का परम्रागत स्रोत 'कुण्ड' का पुनःनिमार्ण किया।

इस देवबणी से होने वाली आय जैसे घास (चारा), पेड़ो के पत्ते आदि को बेचकर इसके प्रबन्धन में ही उपयोग किया जाता है। इस देवबणी के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री गोपाल सिंह ने बताया कि हर वर्ष कम से कम 1500/– रूपये की आय तो केवल घास बेचने से ही हो जाती है। नियमानुसार इस देवबणी में पशुओं को भी चराया जा सकता है।

इस गांव में विद्यमान प्राचीन दूसरी देवबणी जिसे धूणी नाथ के नाम से जाना जाता है। इस देवबणी की जमीन राजस्व दस्तावेजों में शिवजी महाराज गोचर स्थान धूणी नाथ के नाम से दर्ज है। यहां के पुजारी श्री बालक नाथ जी ने बताया कि इस देवबणी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। इस देवबणी के संस्थापक नाथ सम्प्रदाय के श्री रिधनाथ थे जो एक सच्चे वन्य प्राणी संरक्षक थे। इस देवबणी का क्षेत्रफल 125 बीघा है जिसमें विभिन्न धोला धोंक, खैरी तथा डासर के वृक्ष अधिकतम पाये जाते हैं। इसके अलावा यहां बरबरा, खैर, रोंझ, काठ गणगेर, सालर, हिगोट, आम, बैर आदि के वृक्ष भी इस देवबणी में पाये जाते हैं।

श्री बालक नाथ जी का मानना है कि इस देवबणी में 70 तरह की रोंखड़ी (जड़ी–बूँटी) तथा 21 तरहे के कन्द यहा पर पाये जाते थे जिससे इस क्षेत्र के लिए यह स्थान एक परम्परागत चिकित्सा केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। इस देवबणी में पाये जाने वाली 'अलाद' नामक रोंखड़ी निसन्तान के उपचार में राम बाण का काम करती है। इसी तरह से नांवा रोंखड़ी बुखार के लिए, ओन्धाफनी संतान के लिए, नागफनी फुन्सी फोड़ा आदि के लिए हैं।

इस देवबणी के चेला महन्त श्री भोला नाथ का मानना है कि देवबणी से 21 प्रकार के कन्द (जडी–बूटी) मीर्चिया कन्द, सूर्या कन्द, कालिया व

देवबणी ओरण संरक्षण अभियान

10 से 11 मार्च 2003 को राजगढ़ तहसील के नाडू गावं में कृपाविस ने देवबणी संरक्षण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें 52 सामाजिक कार्यकर्ता, चुनिन्दा ग्रामिणों (महिलाऐं एवं पुरूष दोनों) तथा जंगलात विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया !

देवबणी ओरण बचाना आवश्यक क्यों है, इस कार्य शाला में इस पर विस्तार से चर्चा हुई तथा निम्न बिन्दु उभर कर आये :

1. धार्मिक मान्यता/आस्था
2. लोक देवता के कारण जंगल संरक्षण
3. पेड़ होने के कारण वर्षा आती है
4. देवबणी से जड़ी बुटिया मिलती है
5. देवबणी से अकाल में चारा प्राप्ति
6. आक्सीजन (शुद्ध वातावरण)
7. सामाजिक एक–जुटता का माध्यम
8. वन्य प्राणी सुरक्षित रहते है
9. पानी की उपलब्धता
10. दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति
11. मेलो का आयोजन (सांस्कृतिक)
12. आपातकालीन समय में लकड़ी मिलती है
13. इतिहास ज्ञात होता है।
14. नाम से क्षेत्र की जानकारी नामाकरण ।

इस कार्यशाला में इस क्षेत्र में पाये जाने वाले देवबणी ओरणों के संरक्षण पर चर्चा हुई तथा कार्य योजना बनाई गई।

इसी तरह 20 से 21 जुन 2003 को सिरावास गांव में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें इस क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न देवबणी – शहीद की देवबणी, कालाका की देवबणी, गरबाजी, चुड़सिद्ध आदि

देवबणी के संरक्षण पर चर्चा हुई ।

ओरण देवबणी सरक्षण हेतु राज्यस्तरीय कार्यशाला अगस्त 2003 मे प्रस्तावित है। क्षेत्रीय कार्यशालाऐं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा कोटा समाग मे क्रमशः जुलाई, सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर मे आयोजित होगी। रूचि रखने वाले व्यक्तियो तथा संस्थाओ से अनुरोध है कि कृपया इन कार्यशालाओ मे भाग लने हेतु सूचित करे तथा इस मुद्दे पर जो व्यक्ति या संस्थाऐं काम कर रही हो वे अपने अनुभव लिख कर भेज सके तो हम उन्हे अगले अंको मे प्रकाशित करने का प्रयास करेगे।

पेज 4 का शेष.....

तेलिया कन्द, मूलिया कन्द, खडडू, टिण्डू, जामून, ढाक (छीला), करूजा, लिसौड़ा, ककोड़ा, अलान आदि प्रजातिया से विलुप्त हो गयी है। जिसका कारण वे मानते है –

- जंगलात विभाग की दखलन्दाजी
- ग्वालों द्वारा कन्दों की जड़े निकालना
- पशुओं की अधिक चराई
- जड़ी–बूटियों के महत्व में कमी

इस देवबणी में परम्परागत जल स्रोत तालाब 'फिलकू' गंगा' के रूप में प्रसिद्ध रहा है। जिसे स्वंम जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह ने 250 वर्ष इस देवबणी में बनवाया था।

काले खेर की खैर नहीं

ढ़ीली होती सरकारी पकड़ एवं लकड़ी तस्करों के सक्रिय होने से बानसूर क्षेत्र में काले खैर व बांस के जंगल लुप्त प्रायः होने लगे है। बाजार में खैर की लकड़ी की बढ़ती मांग एवं ऊंची कीमत से समीपवर्ती प्रदेशों के लकडी तस्करों ने रामपुर पंचायत व आसपास के क्षेत्रों में जंगल सपाट कर दिए है। एक दशक पूर्व तक काले खैर के सधन वृक्ष वाले रामपुर पंचायत क्षेत्र के नाथूसर, लोज एवं की संख्या में भी तेजी से कमी आई है। काले खैर की लकड़ी से पाल का कत्था तैयार होने तथा इससे उपयोगी सामान तैयार किए जाने के कारण, इसकी बाजार में मांग तेजी से बढ़ रही है। अच्छे मुनाफे के चलते हरियाणा के लकड़ी तस्करों की नजर इन दिनों रामपुर पंचायत क्षेत्र पर टिकी है।

वन विभाग की चौकियों के बावजूद लचर कार्यप्रणाली के चलते काले खैर लकड़ी की अवैध कटाई पर रोक नहीं लग पाई है। जंगलों के समीप रहने वाले लोग भी लकड़ी कटाई में लिप्त रहते है। ऊंटों पर लादकर लकड़ियां रात को धर ले आते है वहां से इन्हें तस्कर वाहनों में भरकर हरियाण भाग छूटते है। पांच सौ से सात सौ रूपये प्रति क्विंटल में स्थानीय लोगों से शरीदी जाने वाली लकड़ी दिल्ली एवं अन्य बड़े शहरों में करीब 1700 से 2000 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बिकती है। जामुड़ा क्षेत्र के जंगलों में जरूर कुछ पेड़ शेष बचे है। पूर्व में पाणीढ़ाल एवं लोज के बीच बांस के वृक्ष बहुतायत में थें। वन विभाग द्वारा इन पेड़ों का लाखें रूपये में ठेका छोड़ा जाता था। इससे रामपुर पंचायत को भी हजारों रूपये का राजस्व मिलता था। वन विभाग की रामपुर पंचायत क्षेत्र के गुढ़ा, नाथूसर, रामपूर, पाणीढाल, बहरामका बास में चौकी स्थापित होने के बावजूद यहां लकड़ी की तस्करी जोरों पर है।

(राजस्थान पत्रिका दैनिक से साभार)

'ओरण' श्री शलेश्वर महादेव

शैलेश्वर महादेव ओरण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित पूडासोली ग्रॉव से 7 किमी की दूरी पर स्थित है। उक्त स्थान जयपुर जिले की दूदू तहसील में स्थित है। श्री शैलेश्वर महादेव का मन्दिर एक बड़ी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। पहाडी पर सघन वन है जिस पर विभिन्न किस्म के प्राकृतिक वृक्ष लगे हुये हैं। श्री शैलेश्वर महादेव की आसपास के चाली पंचास गॉवों में अच्छी मान्यता है।

श्री शैलेश्वर महादेव के प्रति अगाध श्रृद्धा प्रेम और विश्वास होने की वजह से ही पहाडी पर लगे हुये वृक्षों की कोई कटाई नहीं करता है। इस वजह से पहाड़ी पर घना जंगल बचा हुआ है। ~~यह पहाड़ी करीब पचास बीघा के क्षेत्र में है।~~ 5 गॉवों के लोगों ने मिलाकर एक समिति बनाई है। जिसे श्री शैलेश्वर महादेव विकास समीति के नाम से जाना जाता है। यह समिति श्री शैलेश्वर महादेव के मन्दिर विकास के लिये एवं पहाड़ी पर स्थित जंगल की रक्षा के लिये काम करती है। यदि कोई वृक्ष काटता हैं तो यह समिति उस व्यक्ति पर जुर्माना करती है। पहाड़ी के ठीक ऊपर एक माताजी का स्थान भी है। जिसकी मान्यता के कारण भी जंगल बचाया हुआ है। इस मन्दिर में जंगल संरक्षण के संकल्प को दोहराने के लिए प्रति वर्ष सांस्कृतिक मेले व भण्ड़ारा का आयोजन भी किया जाता है।

बाड़मेर जिले की सबसे बड़ी देवबणी/ओरण

बाड़मेर जिले की सीमावर्ती तहसील चौहटन से दस किलोमीटर दूर स्थित ढ़ोक की पहाड़ियों के बीच लोक आशा की प्रतीक बांकल नाम ओरण स्थित है। जिन्हें बीरातरा माता के नाम से जाना जाता है। चौहटन बाड़मेर से अड़तालीस किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर स्थित है। बांकल देवी की ओरण तहसील रिकार्ड के अनुसार 17947 बीघे में स्थित है जो जिले की सबसे बड़ी ओरण का गौरव प्राप्त किए हुए है।

बांकल देवी की ओरण में बांकल देवी का मंदिर भी स्थित है। मंदिर का इतिहास सैकड़ो वर्ष पुराना है। उतना ही पुराना है ओरण का इतिहास। बांकल देवी का मूल मंदिर के पुजारी 45 वर्षीय श्री कूंपसिंह गत 14 वर्षो से मंदिर और ओरण के लिए अपनी सेवाएं दे रहे है। और श्री सिंह के पूर्वज अठारह पीढ़ियों से पुजारी का काम कर रहे हैं । जाति से परमार वंश के है। लेकिन इन्हे भोपा कहा जाता है। ओरण और मंदिर के रख–रखाव आदि के लिए ट्रस्ट बना हुआ है, इसके अध्यक्ष डूंगरपरी मठ के आचार्य एवं महंत 4 वर्षीय श्री फतेहपुरी जी है। श्री फतेहपुरी के अनुसार इन अठारह पीढ़ियों से पूर्व बांकल देवी की पूजा का काम बगें के मेसलमान गहलड़े, अकल डोडियों, कच्छ के रवारी, नीनावण ब्राहमण करते थे और इसके बाद परिवारों ने देवी की पूजा का जिम्मा लिया तभी से उनके परिवार के सदस्य यह कार्य कर रहे हैं। मूल मंदिर के आस–पास भील, मेगवाल और मंगणियार जाति के लोगों ने बांकल देवी का अलग–अलग मंदिर बना रखा है जिसके पुजारी कमशः तुलसारामजी, आंबारामजी और रमजान खां हैं।

श्री कूंपसिंह जी और फतेहपुरी जी के अनुसार ओरण में पौधें कुदरती रूप से ही लगे है, उनके अनुसार उनके पास इस संबंध में साक्ष्य या दंतकथा नहीं है।

पटवारी ने ओरण में पौधों की संख्या 542 बताई है। जबकि एक लाख से भी अधिक पौधे रोहिड़ा, खेजडी, कांकड़ी, फोग, बोरड़ी के है। यहां गीली लकड़ी नहीं काटनें का नियम हैं यदि कोई काटता है और पकड़ में आ जावे तो जुर्माना वसुलने की परम्परा रही है। बरसाती पानी को रोकने के लिए कई नाड़िया इस ओरण में स्थित है।

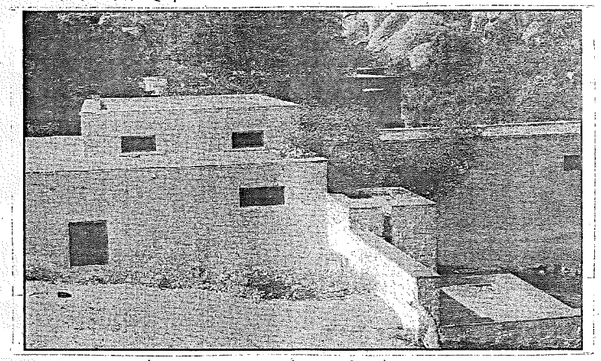

अकाल के समय इस देवबणी से 40–50 हजार मवेशी लाभ उठाते हैं। वर्षा के समय पशुपालक अपने पशु इसी ओरण में छोड़ देते है।

इस ओरण पर वन विभाग ने कब्जा करने की कोशिश की थी लेकिन ओरण प्रहरियों ने संघर्ष कर इस पर वन विभाग का कब्जा नहीं होने दिया। ओरण का जंगल कम हो रहा है, अतः वृक्षारोपण की जरूरत है। *(पर्यावरण कक्ष गांधी प्रतिष्ठान, नई दिल्ली एवं नेहरू युवा केन्द्र बाड़मेर की रिपोर्ट से साभार)*

अपील

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस) द्वारा 10-11 मार्च 2003 को आयोजित कार्यशाला में निर्णय लिया गया कि प्रमाणिक रूप से कहा जा सकता है कि ओरण/देवबणी जैव-विविधता संरक्षण के उत्कृष्ट नमूने हैं, लेकिन यह बड़ी विडम्बना है कि इस दिशा में वन-संरक्षकों, वैज्ञानिकों तथा प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। राजस्थान में ओरण अरावली पर्वत श्रृंखला तथा मरूस्थल का प्राणाधार हैं अतः इन प्राणों को बचाये रखने के लिये निम्न प्रयासों की आवश्यकता है:

1. अरावली व रेगिस्तान क्षेत्र के समस्त ओरणों देवबणियों का सर्वेक्षण कराकर पुनः चिन्हित किया जावे।

2. ओरण के परम्परागत जल स्त्रोतों को ठीक किया जावे और आवश्यकतानुसार नये स्त्रोत भी बनाये जायें।

3. ओरणों को सांस्कृतिक ढ़ांचे के अन्तर्गत पुनः लाया जाये और समुदायों को जागरूक कर उनकी सहभागिता के साथ ओरणों के विकास की योजनाऐं बनायी जायें।

4. दुर्लभ होती हुई जड़ी-बूटियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं वृक्षारोपण किया जाए क्योंकि देवबणी/ओरण में पाये जाने वाली जड़ी बूटियां ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ का आधार रही हैं।

5. राज्य सरकार कानूनी रूप से ओरण को परिभाषित करे। तथा पंचायत राज संस्थाओं को ओरण की महत्वता से परिचय कराते हुए सहभागी बनाए।

6. ओरण/देवबणियों से जुड़ी हुई धार्मिक मान्यताऐं तथा पर्यावरण दृष्टिकोण दोनों को मिलाकर वन प्रबन्धन हो।

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस), बख्तपुरा, अलवर (राज0) द्वारा जनहित में प्रसारित इस पत्रिका के लिए आर्थिक सहयोग विनरौक इन्टरनेशनल इण्डिया, नई–दिल्ली से प्राप्त।
मुद्रक : श्याम कम्प्यूटर एण्ड प्रिंटर्स, अलवर, फोन–2360491 ई–मेल–amitalw@rediffmail.com